

सहकारिता विभाग
उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या-13

अनुदत्त रियायतें अनुज्ञापन।

निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्य योजनायें

- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना
- सहकारी क्रय-विक्रय योजना
- सहकारी उपभोक्ता योजना
- सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार योजना
- पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता

1— सहकारी ऋण एवं अधिकाषण योजना—

विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में यह योजना एक अभूतपूर्व भूमिका अदा करती है इस समय सहकारी ऋण समितियाँ अपने कृषक सदस्यों को कृषि उत्पादन ऋण उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाओं आदि के लिए साधन उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त समाज के निर्बल वर्ग के लोगों का उपेक्षित न रहने देने के उद्देश्य से यह प्रतिबन्ध भी लगाया गया है कि वितरित किये जाने वाले ऋण का कम से कम 30 प्रतिशत ऋण इसी वर्ग के लोगों को दिया जाय। उत्तराखण्ड राज्य में जिला सहकारी बैंको के माध्यम से कृषि समितियों में मिनी बैंक भी संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में 7 नगरीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनमें से नैनीताल एवं अल्मोड़ा के नगरीय बैंको की ख्याति बहुत अच्छी है उनके द्वारा नगरीय क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर दिये जा रहे हैं। वेतनभोगी कर्मचारियों की सुविधा के लिए उनके संस्थानों में वेतनभोगी सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिनके द्वारा अपने सदस्यों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकांश वेतनभोगी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं:-

1- पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर अनुदान-

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों के नियुक्त कैडर सचिवों को वेतन देने में समिति एवं बैंक के अंशदान जो कुल वितरित ऋण का 1.50 प्रतिशत एवं 0.50 प्रतिशत होता है, से अधिक जितनी धनराशि भुगतान की जाती है, की प्रतिपूर्ति इस योजना से की जाती है। इसके उपरान्त भी उक्त फण्ड में अधिविकर्ष है, जिससे सहकारी बैंको को हानि उठानी पड़ रही है।

2- जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को प्रबन्धकीय अनुदान-

वर्तमान में नयी शाखाओं को 3 वर्षों तक 32000 प्रतिवर्ष की दर से प्रबन्धकीय अनुदान दिया जाता है, किन्तु नई नीति के अनुसार केवल उन्ही क्षेत्रों में नई शाखाओं खोली जायेगी जो लाभ की स्थिति में आ सकती हो।

3-अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को अंशक्य हेतु ब्याज रहित ऋण/अनुदान-

वर्तमान में सदस्य बनने हेतु उक्त मद में अधिकतम 100 रुपये (50प्रतिशत ब्याज रहित ऋण, 50 प्रतिशत अनुदान) नये सदस्य को दिया जाता है।

4-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान-

वर्तमान में समितियों को वर्ष दौरान ऋण वितरण में भी हानि की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि अनुदान स्वरूप दी जाती है, समितियों का स्वाश्रियता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

5-प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को मिनी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एवं साज-सज्जा अनुदान-

वर्तमान में जिन प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में मिनी बैंक प्रारम्भ किये जाते हैं, उन्हें तीन वर्ष तक 5000.00 रु० प्रति वर्ष की दर से प्रबन्धकीय अनुदान एवं मु० 5000.00 रु० साज-सज्जा अनुदान केवल एक बार प्रदान किया जाता है। समितियों को स्वाश्रयी करने हेतु यह योजना लाभकारी है।

6-अनु०जाति/जनजाति के सदस्यों को ब्याज पर राहत हेतु अनुदान-

वर्तमान में अनु०जाति/जनजाति के सदस्यों को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज पर राहत दी जाती है।

2- सहकारी क्रय-विक्रय योजना-

कृषकों को उनकी उपज का उनके गांव के ही निकट की सुचारु रूप से क्रय-विक्रय का उचित प्रबन्ध करके उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें विभिन्न बाजारी कुरीतियों तथा शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु यह योजना विभाग द्वारा कार्यान्वित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं-

1-क्रय-विक्रय समितियों को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान-

क्रय-विक्रय समितियों को आगणन के आधार पर गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2-क्रय-विक्रय समितियों को पुर्नस्थापना हेतु अनुदान-

दुर्बल क्रय-विक्रय समितियों को केवल एक बार पुर्नस्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3-सहकारी उपभोक्ता योजना-

इस योजना का प्रारम्भ आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने एवं उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक विशुद्ध उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। उत्तराखण्ड की विशेष आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का सूत्रपात बढ़ती हुई कीमतों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं उचित मूल्य पर वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान है। उपभोक्ता भण्डारों तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से स्थानीय जनता को निरन्तर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति उचित मूल्य पर की जा रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं-

1-केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों को मूल्य उतार-चढ़ाव निधि हेतु अनुदान-

वर्तमान में केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/जिला सहकारी संघों को बाजार से प्रतिस्पर्धात्मक दर सुनिश्चित करवाने हेतु उन्हें 25000/-प्रति वर्ष मूल्य उतार-चढ़ाव निधि जिसका उपयोग बाजार दर में गिरावट आने पर संघों/भण्डारों को जो हानि होती है उसकी पूर्ति की जा सके।

2-केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारों/लीड समितियों/जिला सहकारी संघों को यातायात अनुदान-

सहकारी उपभोक्ता भण्डार/लीड समितियां/जिला सहकारी संघ जो कि विकास खण्ड स्तर पर लीड समिति के रूप में कार्य कर रही हैं उन्हें यातायात अनुदान मदों में 25000/-की दर से अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्धि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

3-पैक्स/लैम्पस को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु यातायात अनुदान-

पैक्स/लैम्पस जो कि विकास खण्ड स्तर पर कार्य कर रही है उन्हें 5000/- की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है जिससे कि दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में विशेष वृद्धि न हो और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति निरन्तर सुनिश्चित हो सकें।

4-संघ के सचिवों के वेतन हेतु राहत अनुदान-

आर्थिक स्थिति से कमजोर संघ के सचिव के वेतन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6-पर्वतीय क्षेत्र में सहकारी कृषि निदेश आपूर्ति एवं वितरण योजनान्तर्गत उर्वरक परिवहन पर राज सहायता-

उत्तराखण्ड में पर्वतीय क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र रेल हैड से इतने अधिक दूर है कि यदि उनमें सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत उर्वरक आपूर्ति की जाय तो दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरक की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी एवं शासन की नीति के अनुसार निर्धारित एक ही दर पर समस्त स्थानों पर उर्वरक बिक्री नहीं की जा सकती। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रेल हैड से समिति बिक्री केन्द्रों तक उर्वरक आपूर्ति में जो व्यय आता है वह शासन से अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उक्त योजना कास्तकारों/कृषकों से सीधी जुड़ी हुई है, जिससे उनके स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं।